

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री रोहित चौधरी
प्रशासन गांवों के सम अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केंद्र सांजटा

प्राथीगण	बनाम	विप्राथीगण
1 जयपुरम पुत्र जोधाराम जाति मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर		1 मंगाराम पुत्र धाराराम जाति मेगवाल 2 भंवराराम पुत्र पुनमाराम जाति स्वामी 3 चुनाराम पुत्र गैनाराम जाति मेगवाल 4 चन्दनाराम पुत्र आदाराम जाति मेगवाल 5 आम्बाराम पुत्र मांगाराम जाति मेगवाल 6 पोककराम पुत्र कानाराम जाति जाट 7 पनाराम पुत्र गोमदाराम जाति मेगवाल 8 मंगलाराम पुत्र सबताराम जाति मेगवाल 8 मंगलाराम पुत्र सबताराम जाति मेगवाल 9 नारणाराम पुत्र भीखाराम जाति मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी (सांजटा) तहसील एवं जिला बाड़मेर 10 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-73/2021 दिनांक-09.11.2021

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मीजा आसुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 313 रकबा 11.19 बीघा खसरा नंबर 341 रकबा 0.04 बीघा व खसरा नंबर 487/342 रकबा 51.16 बीघा कुल 63.19 बीघा के बारे तरफ पत्रके नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथी व विप्राथीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.06.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है जो प्राथी द्वारा मीके पर अदा किया जानेगा।



क्रमांक/रीडर/2021/6234-6237

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं प्रालनार्थ प्रेषित है-

- 1 तहसीलदार बाड़मेर प्रालन प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
- 2 पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मध्य रेकर्ड उपस्थित रखकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
- 3 प्राथी जयपुरम पुत्र जोधाराम जाति मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर
- 4 विप्राथीगण मंगाराम पुत्र धाराराम व भंवराराम जाति मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

(रोहित चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 09/11/2021

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केंद्र सांजटा

प्रार्थीगण
1. जगुराम पुत्र जोधाराम जाति
मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी
सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्राथीगण

1. गंगाराम पुत्र धाराराम जाति
मेगवाल 2 भंवराराम पुत्र पुनमाराम
जाति स्वामी 3 चुनाराम पुत्र
गौनाराम जाति मेगवाल 4 चन्दनाराम
पुत्र आदाराम जाति मेगवाल 5
आम्बाराम पुत्र मांगाराम जाति
मेगवाल 6 पोकरराम पुत्र कानाराम
जाति जाट 7 पनाराम पुत्र
गोमदाराम जाति मेगवाल 8
मंगलाराम पुत्र रावताराम जाति
मेगवाल 8 मंगलाराम पुत्र रावताराम
जाति मेगवाल 9 नारणाराम पुत्र
भीखाराम जाति मेगवाल निवासी
आसुओं की ढाणी (सांजटा) तहसील
एवं जिला बाड़मेर 10. तहसीलदार
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-73/2021 दिनांक-09.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आसुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील एवं
जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 313 रकबा 11.19 बीघा, खसरा नंबर 341 रकबा 0.04
बीघा, व खसरा नंबर 487/342 रकबा 51.16 बीघा कुल 63.19 बीघा के बारे तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्राथीगण को
जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की
जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 09/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6234 - 6237

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जगुराम पुत्र जोधाराम जाति मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा तहसील व
जिला बाड़मेर
4. विप्राथीगण गंगाराम पुत्र धाराराम वगैरह जाति मेगवाल निवासी आसुओं की ढाणी सांजटा
तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर